

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 33/2023

अनवान :-

1. धर्मसिंह
2. मदनसिंह
3. रामस्वरूप

पुत्रान हरचंद जाति जाट निवासी ढाणी बेरवाल त० भादरा।

-प्रार्थीगण

बनाम्

- 1 धर्मपालसिंह राजेरा पुत्र देईराम जाति कुम्हार निवासी बीड भादरा त० भादरा।
2. इन्द्रपाल पुत्र धर्मपालसिंह जाति कुम्हार निवासी बीड भादरा त० भादरा।
- 3 विवेक पुत्र सतपालसिंह जाति कुम्हार निवासी बीड भादरा त० भादरा। अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए

आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज० कॉल० ए

उपस्थिति :- रतनसिंह धारीवाल प्रार्थीगण

श्री सुरेन्द्र मील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 17/3/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढाणी बेरवाल के चक न० 2 एमएसआर के खाता सं० 107/88 के मु० न० 66 के किला न० 22, 23, 24 मु० न० 74 के किला न० 16, 17, 18, 23, 25, मु० न० 75 के किला न० 2, 3, 4, 7 से 14 व किला न० 17 से 20 कुल 6.0720 है० खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 2 एमएसआर के खाता सं० 160/31 के मु० न० 66 के किला न० 21, मु० न० 67 के किला न० 25, मु० न० 74 के किला न० 8 व 13, मु० न० 75 के किला न० 1 कुल 1.2650 है० नहरी बारानी भूमि अप्रार्थी सं० 1 धर्मपालसिंह राजेरा के नाम से व इसी चक 2 एमएसआर के खाता सं० 159/31 के मु० न० 67 के किला न० 16, 17, 24, मु० न० 74 के किला न० 2/1, किला न० 2/2 गै० मु० रास्ता, किला न० 3 कुल 1.2650 है० बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 2 इन्द्रपाल के नाम से खातेदारी व रास्ता दर्ज है। चक 2 एमएसआर के खाता सं० 31/108 के मु० न० 67 के किला न० 22/1, किला न० 22/2 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 23, मु० न० 74 के किला न० 4, 5, 7 कुल 1.2650 है० बारानी मय रास्ता कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 3 विवेक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण की चक 2 एमएसआर के मु० न० 74 के किला न० 16, 17, 18, 23, 24, 25 व मु० न० 75 के किला न० 2, 3, 4, 7 से 14, 17 से 20 की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के चिपते हुए मु० न० 74 व 75 में है। प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि में से होकर जाना पडता है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण सदामत से ही मु० न० 74 के किला न० 3, 4, 5 व मु० न० 75 के किला न० 1 से ही सदामत से आवागमन करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के मु० न० 74 के किला न० 2 में उतरी ओर रास्ता स्वीकृत है आगे मु० न० 74 के किला न० 3, 4, 5 व मु० न० 75 के किला न० 1 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हमारी खातेदारी में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर रहे हैं यदि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी

Kalpit  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



उक्त रास्ता बंद कर देते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आवागमन के अभाव में काशत से वंचित रह जायेंगे। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने सं० 1 ता 3 ने जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 अपने-अपने हिस्से अनुसार अपनी-अपनी कृषि भूमि काशत कर रहे है। चूंकी प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी बेरवाल के चक न० 2 एमएसआर के खाता सं० 107/88 के मु० न० 66 के किला न० 22, 23, 24 मु० न० 74 के किला न० 16, 17, 18, 23, 25, मु० न० 75 के किला न० 2, 3, 4, 7 से 14 व किला न० 17 से 20 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की इसी चक 2 एमएसआर प्रार्थीगण के चिपते हुए अप्रार्थी सं० 2 इन्द्रपाल के नाम मु० न० 74 के किला न० 3 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक गट्टा अर्थात 0.0130 है० व अप्रार्थी सं० 3 विवेक के नाम मु० न० 74 के किला न० 4 व 5 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक-एक गट्टा अर्थात प्रत्येक किला के 0.013 है० व अप्रार्थी सं० 1 धर्मपालसिंह के नाम मु० न० 75 के किला न० 1 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक-एक गट्टा अर्थात 0.013 है० चौडा रास्ता रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने रास्ता की एवज में भूमि के बदले अप्रार्थीगण ने किमत पहले ही लेना स्वीकार किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से पूर्व में किमत लेना स्वीकार किया है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एमएसआर में अप्रार्थी सं० 2 इन्द्रपाल के नाम मु० न० 74 के किला न० 3 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक गट्टा अर्थात 0.0130 है० व अप्रार्थी सं० 3 विवेक के नाम मु० न० 74 के किला न० 4 व 5 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक-एक गट्टा अर्थात प्रत्येक किला के 0.013 है०, व अप्रार्थी सं० 1 धर्मपालसिंह राजेरा के नाम मु० न० 75 के किला न० 1 के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक-एक गट्टा अर्थात 0.013 है० चौडा स्वीकृत कर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करे।

आज दिनांक ...17/2/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिर्षान)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़